

I/4581/2024

मेसर्स एम्बेसी पुणे टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड-एसईजेड के आईटी-आईटीईएस सेक्टर के विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीपज़-एसईजेड, मुंबई की अध्यक्षता में 05.07.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की 96 वीं बैठक का विवरण।		
1	सेज़ का नाम	मेसर्स. एम्बेसी पुणे टेकज़ोन प्रा. लिमिटेड-एसईजेड
2	सेक्टर	आईटी/आईटीईएस
3	बैठक क्र	96 वीं
4	तारीख	05.07.2024

## उपस्थित सदस्य

क्रमांक न.	नाम और पदनाम (एस/श्री.)	विभाग
1	श्रीमती मितल हिरेमठ संयुक्त विकास आयुक्त पुणे	पुणे क्लस्टर एसईजेड, पुणे
2	श्री. कृष्णदास नायर, एफटीडीओ,	पुणे डीजीएफटी विभाग से नामित
3	श्रीमती अर्चना परब सहायक आयुक्त, आयकर विभाग	आयकर विभाग से नामित
4	श्रीमती सुनीता जगताप, अधीक्षक	सीमा शुल्क विभाग पुणे से नामित

## विशेष आमंत्रित

क्र.	नाम एवं पदनाम (श्री/ श्रीमती)	विभाग
1	श्री सतबीर शर्मा विनिर्दिष्ट अधिकारी	सीपज़-एसईजेड, पुणे क्लस्टर

एजेंडा आइटम नंबर 01: दिनांक 30.05.2024 को आयोजित 95 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 30.05.2024 को आयोजित 95 वीं अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

I/4581/2024

**एजेंडा आइटम नंबर 02: मेसर्स कैल्सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के परफॉर्मेंस का मोनिट्रिंग।**

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार, पहली ब्लॉक अवधि के वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक, यानि 4 वर्ष के लिए यूनिट के परफॉर्मेंस को नोट किया।

- यूनिट ने पहली ब्लॉक अवधि के वित्त वर्ष 2022-23 में संचयी आधार पर 197.12 करोड़ रुपये के अनुमानित निर्यात के मुकाबले 147.77 करोड़ रुपये का निर्यात हासिल किया है।

यूनिट ने पहली ब्लॉक अवधि के वित्त वर्ष 2022-23 में संचयी आधार पर 139.44 करोड़ रुपये यानी•

94.36% का सकारात्मक एन.एफ.ई (नेट विदेशी मूल्य) हासिल किया है।

- यूनिट ने 206 कर्मचारियों (पुरुष-147, महिला-59) को रोजगार दिया।

इसके अलावा, समिति ने पाया है कि, यूनिट ने नीचे बताए अनुसार डीटीए बिक्री की है और आईएनआर में भुगतान प्राप्त किया है।

(Rs. In Crores)

Financial Year	DTA sales Value
2019-20	2.95
2020-21	19.03
2021-22	24.67
2022-23	25.35
<b>Total</b>	<b>72.00</b>

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (जेड) में दी गई परिभाषा के अनुसार आईएनआर के मुकाबले डीटीए में "सेवाएं" प्रदान करना 'सेवाओं' के रूप में योग्य नहीं है, यूनिट ने एसईजेड अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और इसलिए समिति ने विचार-विमर्श के बाद, एसईजेड अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन और विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत इकाई के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया।

इसके अलावा, इकाई को भविष्य में इस समान एसईजेड अधिनियम/नियमों का उल्लंघन नहीं करने के संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Minutes of the 96<sup>th</sup> Meeting of the Approval Committee held under the

I/4581/2024

Chairmanship of Zonal Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai for Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES of M/s. Embassy Pune TechZone Pvt. Ltd.-SEZ, Pune, held on 05.07.2024.

1	Name of the SEZ	M/s. Embassy Pune TechZone Pvt. Ltd.-SEZ
2	Sector	IT/ITES
3	Meeting No.	96 <sup>th</sup>
4	Date	05.07.2024

#### Members present

Sr	Name and Designation (S/Shri.)	Department
1	Smt. Mital Hiremath Joint Development Commissioner	Pune Cluster SEZ, Pune
2	Shri. Krishnadas Nair FTDO	Nominee of DGFT, Pune
3	Smt. Archana Parab Asst. Commissioner, IT	Nominee of Income Tax, Pune
4	Smt. Sunita Jagtap Superintendent	Nominee of Customs, Pune

#### Special Invitee

Sr	Name and Designation	Department
1	Shri Satbir Sharma, Specified Officer	SEEPZ-SEZ, Pune Cluster

#### Agenda Item No.01: Confirmation of Minutes of the 95<sup>th</sup> meeting held on 30.05.2024

After deliberation, the Committee confirmed the minutes of the 95<sup>th</sup> Approval Committee meeting held on 30.05.2024

#### Agenda Item No. 02: Monitoring of Performance for M/s. CalSoft Pvt Ltd.

After deliberation, the committee noted the performance of the unit for 4 years i.e., from FY 2019-20 to 2022-23 of 1<sup>st</sup> Block period, in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006. As detailed below:

- The unit has achieved export of Rs.147.77 Cr against the projected export of Rs. 197.12 Cr in FY 2022-23 on cumulative basis.
- The unit has achieved NFE of Rs. 139.44 Cr i.e, 94.36% in FY year 2022-23 on cumulative basis.
- The unit has achieved employment of 206 employees (Men-147, Women-59)

Further, the committee has observed that, the unit has made DTA sale as detailed below and received payment in INR.:

(Rs. In Crores)

I/4581/2024

Financial Year	DTA sales Value
2019-20	2.95
2020-21	19.03
2021-22	24.67
2022-23	25.35
<b>Total</b>	<b>72.00</b>

Since providing of “Services” in DTA against INR does not qualify as ‘Services’ as per definition given in Section 2(z) of the SEZ Act, 2005, Unit has violated the provisions of SEZ Act & Rules and hence Committee after deliberation, directed to initiate action against the unit for violation of provisions of SEZ Act / Rules and under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

Further, the unit has been directed to submit the undertaking regarding, not violating same SEZ Act/ Rules in future.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आईएएस)  
(Dnyaneshwar B. Patil, IAS)  
अध्यक्ष एवं विकास आयुक्त  
Chairman-cum- Development  
Commissioner